

अपील/०२/२०२० (अंतर्गत धारा ७५ मू राजस्व अधिनियम)

सोहनसिंह पुत्र रतनलाल जाति जाट निवासी खड़ली गडासिया तहसील बयाना जिला भरतपुर

अपीलान्त.....

बनाम

राजस्थान सरकार जसिये तहसीलदार बयाना

रेस्पॉडेंट.....

अपील विरुद्ध निर्णय दिनांक ३०.०९.२०१९ तहसीलदार बयाना
मिसिल नम्बर ७०/२०१९ उन्वानी राज० सरकार बनाम
सोहनसिंह अन्तर्गत राज. मू. राजस्व अधिनियम १९५६

उपस्थित :-

- १-श्री जितेन्द्र कुमार कर्दम अभिमाषक अपीलान्त,
- २-प्रेकार सरकार

निर्णय

दिनांक ०७.०९.२०२०

अपीलान्त द्वारा यह अपील तहसीलदार बयाना के आदेश दिनांक ३०.०९.२०१९ के खिलाफ पेश की गई है। अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि तहत अदालत का आदेश विधि विरुद्ध होने से काबिल निरस्तनीय है। आरजी खसरा नम्बर २२५५ रकवा १.८९ है ० से ०.१२ है ० पर फसल बाजरा की बोकर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा की जाकर आरजी से बंदखल करते हुए ९० दिवस की सिविल जेल कारावास से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया है जो विधि विरुद्ध होने से काबिल निरस्तनीय है। अपीलान्त का मौके पर किसी प्रकार का कब्जा नहीं है ना ही पहले कभी रहा है मगर पटवारी हल्का ने महज रजिस्ट्रार की वजह से पार्ली वाली की वजह से दर्जा लोगों से मिलकर यह अतिक्रमण की रिपोर्ट की है जबकि इस बाबत अपीलान्त के पास कोई विधिवत तामील भी नहीं हुई है। इकतरफा में उक्त आदेश पारित कर

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

अभिमत निष्ठा कर्तव्य
भारत (भार.)

संगत है। अपीलान्त के एक से आज दिनांक तक उक्त मसि का आवंटन/नियमन स्थिति में अपीलान्त के खिलाफ तहत अदालत द्वारा की गई कार्यवाही न्याय अंगणत की गई है जिसका तहत अदालत को वरुबी अधिकार प्राप्त है। ऐसी उक्त समस्त कार्यवाही राजस्थान मू राजस्व आधिनियम 1956 की धारा 91 के किया गया था। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्त के खिलाफ आवश्यकता नहीं रहती है। अपीलान्त द्वारा पूर्व में भी इस आराजी पर अतिकमण पारित किया गया है। जिसमें कर्तव्य किस्ती प्रकार के कोई हस्तक्षेप की अदालत द्वारा विहित कानूनी प्रक्रिया अपनाने जाकर ही अपीलान्त आदेश आदेश दिनांक 30.09.2019 की तारीख करते हुए कथन किया गया कि तहत प्रोकर सरकर ने तहत अदालत तहसीलदार बयाना के अपीलान्त अपीलान्त स्वीकार करमाय जाने का निवेदन किया गया।

दिनांक 30.09.2019 आधारहीन होने के कारण खारिज करमाय जाने एवं अपील अवसर नहीं दिया गया है। अन्त में वकील अपीलान्त द्वारा अपीलान्त आदेश पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। अपीलान्त को समुचित साक्ष्य/सुनवाई का भी कोई साक्ष्य पत्र प्रस्तुत किया है। लगातार कब्जा करने एवं बेदखली का साक्ष्य तहत नहीं दिया गया है। अपीलान्त ने न्यायालय द्वारा में कब्जा छोड़ने के सम्बन्ध में भुगतान को तैयार है। अपीलान्त को तहत न्यायालय में कोई सुनवाई का अवसर जाता है तो अपीलान्त उसे छोड़ने एवं तहत अदालत द्वारा पारित दण्डादेश को कोई अतिकमण नहीं है, अगर किस्ती भी रकब पर अपीलान्त का कब्जा पया को दौहराते हुए जाहिर किया कि अपीलान्त का किस्ती भी सरकारी रकब पर योग्य अभिमाषक अपीलान्त ने अपने तर्कों में अपील में अंकित कथनों अभिमाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

तहसीलदार बयाना से प्राप्त तहत पत्रावली शामिल मिसिल की गई। योग्य अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्यो एवं तहत पत्रावली तलब की गई।

किये जाने की प्रार्थना की है।
नकल से अपील अन्दर म्याद पेश की जा रही है। अपीलान्त ने अपील स्वीकार का प्रार्थना पत्र पेश किया व नकल प्राप्त की। अतः होने जानकारी व मिलने दिन दिनांक 13.11.2019 को तहसील में जाकर जानकारी की व उसी रोज नकल उसने बताया कि आपके विरुद्ध फसला होकर 90 दिन की सजा हुई है तो दूसरे तथा दिनांक 12.11.2019 को जब पटवारी हल्का पैनल्टी राशि मांगने आया तो 30.09.19 को पारित किया गया है जिसकी अपीलान्त को कोई जानकारी नहीं थी गया है। उक्त आदेश विधि विरुद्ध होने से कानून निरस्तनीय है। आदेश दिनांक दिया है तथा कोई सुनवाई का एवं जबाब पेश करने का मौका तक नहीं दिया

भरतपुर
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
(बीना माहवर)

निर्णय आज दिनांक 07.09.2020 को सुनाया गया।

यथावत रहेगा।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्त सशर्त-आर्थिक स्वीकार की जाकर अपीलान्त द्वारा अतिक्रमण हटा लेने की शर्त पर अपीलान्तीय आदेश 30.09.2019 केवल सजा की हद तक निरस्त रहेगा, अन्यथा अपीलान्तीय आदेश

कैवल सजा की हद तक निरस्त किया जाना उचित पाते है।
देते हुये मौके पर अतिक्रमण नहीं पाये जाने की शर्त पर अपीलान्तीय आदेश की स्वीकार किया है। अपीलान्त द्वारा भविष्य में पुनः अतिक्रमण न करने की हिदायत होता है। शपथ-पत्र के अनुसार अपीलान्त द्वारा अतिक्रमण पाये जाने पर छेड़ना में दिनांक 07.09.2020 को कब्जा छेड़ने के सम्बन्ध में प्रस्तुत शपथ पत्र से स्पष्ट होता है। उक्त अतिक्रमण का सिद्ध होना स्वयं अपीलान्त के द्वारा न्यायालय द्वारा गवाहिया पर अपीलान्त द्वारा फसल बाजरा बोकर अतिक्रमण किया जाना सिद्ध 2255/1.89 हैक्टयर में से 0.12 हैक्टयर किस्म चारगाह बाँके ग्राम खेड़ली का अवलोकन किया गया। मौजूदा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड से खसरा नम्बर हमने योग्य अभिमाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली

दिनांक 30.09.2019 यथावत रखे जाने का निवेदन किया गया।
अपीलान्त आधारहीन होने के कारण खारिज करमाये जाने एवं अपीलान्तीय आदेश अपीलान्तीय आदेश बर्खो न्याय संगत है। अन्त में परोकार सरकार द्वारा अपील बार-बार अतिक्रमण करने का आदी भी है। इसलिये तहत अदालत द्वारा पारित किस्सी भी सहानुभूति का पात्र नहीं है। अपीलान्त राजकीय चारगाह भूमि पर की धारा 16 में वर्जित होने से नियमन योग्य भी नहीं है ऐसी स्थिति में अपीलान्त नहीं हुआ है यह भूमि चारगाह भूमि है। राजस्थान कारतकारी अधिनियम 1955